न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई॰ए॰एस

प्रकरण संख्या **17/2017** अपील (राजस्व)

1. श्री दोला पुत्र फता डांगी निवासी सापेटिया तहसील बड़गॉव
2. श्री धुला पुत्र फता डांगी निवासी सापेटिया तहसील बड़गॉव
3. श्री गणेश पुत्र फता डांगी निवासी सापेटिया तहसील बड़गॉव
4. श्री काना पुत्र फता डांगी निवासी सापेटिया तहसील बड़गॉव
5. श्री नाना पुत्र फता डांगी निवासी सापेटिया तहसील बड़गॉव

—— **अपीलान्टगण**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बड़गॉव, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)
2. पटवारी हल्का राजस्व ग्राम सापेटिया, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)
3. विकास पंचायत ग्राम सापेटिया तहसील बड़गॉव जरिये सरपंच, विकास पंचायत ग्राम सापेटिया, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)

—— **रेस्पोडेन्टगण**

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 19.01.2017 न्यायालय तहसीलदार बड़गॉव जिला उदयपुर ने प्रकरण संख्या 38/2016 ना.क.

उपस्थित : श्री विवेक व्यास, अधिवक्ता अपीलान्टगण
श्री रोशनलाल जैन, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 3
श्री मनोज कुमार पॅवार, पैरोकार सरकार रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2

निर्णय

दिनांकः—.....

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार बड़गॉव के प्रकरण संख्या 38/2016 नाजायज कब्जा निर्णय दिनांक 19.01.2017 से नाराज होकर यह अपील प्रस्तुत की गई हैं।

अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि ग्राम सापेटिया की आराजी नम्बर 454 से 456 रकबा 0.800 हैक्टर भुमि पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट के

आधार पर धारा 91 के तहत बेदखली के आदेश पारित किये गये हैं। जबकि अपीलार्थी अत्यंत निर्धन, साधारण एवं अनपढ कृषक की श्रेणी में आते है जिस हेतु सम्पूर्ण दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये जा सके। न्यायालय द्वारा प्रकरण का निस्तारण कर आदेश पारित कर दिया गया।

दिनांक 04.03.17 को भारी पुलिस लवाजमे के साथ में रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 मौके पर पशुओ के बाड़ो एवं चारदिवारी को ध्वस्त करने पहूॅच गये। अपीलान्टगण के आधिपत्य में चले आ रहे वर्षो पुराने बाड़ो एवं चारदीवारी को जेसीबी मशीन के साथ ध्वस्त कर दिया और बताया गया कि सरकारी भुमि पर नाजायज बाड़े बनाकर अतिक्रमण किये जाने से अतिक्रमि घोषित किये जाने से बेदखली की कार्यवाही की गई। जिस पर आदेश दिनांक 19.01.17 की प्रतिलिपि लेने हेतु दिनांक 10.03.17 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उसी दिन नकल प्राप्त कर यह अपील प्रस्तुत की जा रही हैं।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण को सुना नहीं गया। बचाव में जवाब देने हेतु समुचित अवसर नहीं दिया गया। वादग्रस्त भुमि पर सम्वत् 2038 वर्ष 1981 में किये गये बन्दोबस्त से पुर्व अपीलान्टगण के लम्बे एवं शान्तिपुर्वक आधिपत्य की पुष्टि नहीं किया जाना अपनेआप में एक मनमाना एवं तानाशाही रवैया अपनाता हैं। सरकार की बन्दोबस्त कार्यवाही विक्रम सम्वत् वर्ष 2038 में अपीलान्ट का नाम उपकृषक के रूप में दर्शाया गया हैं। खसरा विवरण में भी अपीलान्टगण का आधिपत्य माना गया हैं। 2016 में नाजायज कब्जा मानकर बेदखली का आदेश प्रदान किया जाना विधि एवं तथ्यों की भारी भूल हैं। इस भूमि पर अपीलान्ट का पुराना कब्जा काश्त होने से काबिले नियमन हैं। पूर्व में भी अन्य लोगो को कब्जे का नियमन किया गया हैं। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के साथ भेदभाव किया जाना न्याय भावना के विरूद्ध हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कानुनी प्रावधानो को बिना देखे ही आक्षेपित आदेश पारित करने में भारी भूल कारीत करी हैं। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावें।

अपनी अपील मेमो के साथ में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली हैं।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विपक्षी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

पत्रावली में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को तारीख पेशी दी जाकर बाद में आदेश पारित कर दिया गया। जिससे अपीलार्थी को अपने साक्ष्य सबुत एवं जवाब प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया। इस भुमि पर अपीलार्थी का कब्जा काफी पुराना होकर नियमित रूप से इस भुमि का उपयोग बाड़ो के रूप में, पशुओ को बांधने, खाद बीज फल इत्यादि रखने एवं पशुओ के लिये चारा इकट्ठा करने के काम में लिया जाता रहा हैं। भु प्रबन्ध विभाग द्वारा 1982–1983 में जो सेटलमेंट की कार्यवाही की गई थी उसमें इस भुमि की किस्म चारागाह दर्ज कर दी गई जबकि वास्तविकता यह है कि यह भुमि बिलानाम सरकार होकर बाड़ो के रूप में हमारे नाम पर ही दर्ज थी। संवत् 2042 की भु प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी में भुमि विकास पंचायत ग्राम सापेटिया के खाते में दर्ज होकर उसके विशेष कॉलम में अपीलार्थी का नाम दर्ज हैं। जो अभिलेख से भी यह साबित होता है कि इस भूमि पर कब्जा अपीलार्थीयो का नियमित एवं निविर्वाद करीब 30–32 वर्ष से पूर्व का हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीयों के विरूद्ध जो आदेश पारित किया गया हैं वह कानुनी प्रावधानो को देखे बिना ही एक तरफा आदेश पारित कर दिया गया हैं। जिसे निरस्त फरमाया जाकर अपीलार्थीगणो की अपील स्वीकार फरमायी जावें।

विद्ववान पैरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया है कि विवादीत भुमि सदैव से ही विकास पंचायत ग्राम सापेटिया की रही हैं। जो किस्म चरागाह हैं। अपीलार्थी द्वारा इस भुमि पर जबरन कब्जा किया गया हैं। जबकि चारागाह की भुमि पशुओ की चराई हेतु होती है जिसका आवंटन नियमन नहीं किया जा सकता हैं। अतः ऐसी भूमि पर किसी के भी द्वारा किया गया कब्जा अवैध होकर ऐसा कब्जा अतिक्रमण की तारीफ में आता हैं। जिसे बेदखल कर भुमि को कब्जे रहीत करने की जिम्मेदारी अधिनस्थ

न्यायालय की हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही उचित व न्याय संगत हैं। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त फरमायी जावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहन अध्ययन किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो को भी देखा गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन एवं बहस पर मनन करने के पश्चात् न्यायालय का मत है कि अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमित भुमि किस्म चरागाह की हैं। जो कदीम से ही चारागाह रही हैं। सेटलमेंट के पुर्व भी यह भूमि विकास पंचायत ग्राम सापेटिया के ही खाते दर्ज थी। अपीलार्थी का यह कथन स्वीकार्य नहीं है कि सेटलमेंट के दौरान इस भूमि कि किस्म चारागाह में परिवर्तित कर दी गई हैं। संलग्न जमाबन्दी 2042 भू प्रबन्ध विभाग में भी यह आराजीयात विकास पंचायत ग्राम सापेटिया के नाम दर्ज हैं। अतिक्रमित भुमि ग्राम पंचायत सापेटिया के खाते में दर्ज होने से व किस्म चारागाह हैं जिसका आवंटन व नियमन नहीं किया जा सकता हैं। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश विधि संगत हैं।

अतः अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बड़गॉव के प्रकरण संख्या 38/16 निर्णय दिनांक 19.01.17 में अपीलार्थी के विरूद्ध दिये गये बेदखली के आदेश विधि मे प्रदत्त प्रावधानानुसार ही होकर कानुनन सही हैं। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप किये जाने की कोई गुंजाईश नहीं हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी साबित नहीं पायी जाने से खारीज की जाती हैं।

निर्णय की प्रति मय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार हों। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर